भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 926
दिनांक 13.12.2022/ 22 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

वैष्णों देवी मंदिर के बारीदार

926. श्री राजन बाबूराव विचारेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बारीदार या पुजारी (हिन्दू समुदाय) हजारों वर्षों से मां वैष्णों देवी की पूजा करते आ रहे हैं और उनके परिवारों को मंदिर में चढ़ाए गए/ दान किए गए धन से सहायता मिलती थी;
(ख) क्या इन बारीदारों (पुजारियों) को 30 अगस्त, 1986 की रात को बिना किसी पूर्व सूचना के गुफाओं से बाहर निकाल दिया गया था और श्राइन बोर्ड ने मंदिर के सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे, जिसके परिणामस्वरुप लगभग 20 हजार बारीदार परिवारों के लिए आजीविका का संकट पैदा हो गया था;
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बारीदारों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं / किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार ने बारीदारों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने का वायदा किया है, लेकिन इस संबंध में अब तक कुछ नहीं किया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): जम्मू और कश्मीर सरकार ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के बारीदारों के परिवारों से संबंधित ऐसे किसी आजीविका संकट की सूचना नहीं दी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन का प्रशासन और प्रबंधन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को सौंपा गया है, जो अगस्त, 1986 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के माध्यम से गठित एक स्वायत्तशासी निकाय है।

बारीदार परिवारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) बारीदार परिवारों को मुआवजे के रूप में 9,36,49,981.00 रुपये की धनराशि (ब्याज सहित) वितरित की गई है।

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 926, दिनांक 13.12.2022

(ii) पूर्व बारीदार परिवारों से संबंधित छात्रों को छात्रवृत्तियां वितरित की जा रही हैं। मार्च 2022 तक, 15,379 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 8.45 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

(iii) बारीदारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 24 नवम्बर, 2022 तक, 1367 परिवारों को 4.34 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है।

(iv) बालिका को गोद लेने की स्कीम के तहत बारीदार परिवारों की 79 बालिकाओं में से प्रत्येक के लिए 1.00 लाख रुपये की सावधि जमा रसीदें आरक्षित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, बारीदार की 79 पंजीकृत बालिकाओं के परिवारों को प्रति माह 500/- रुपये वितरित किए जाते हैं।

*****